

## प्रेस नोट



### खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार एवं गोला बारूद की आपूर्ति करने वाले अभियुक्त राज सिंह व एक अन्य की गिरफ्तारी

दिनांक: 23.11.2019

यूपी एटीएस को आसूचना प्राप्त हुई थी कि राज सिंह निवासी गोगवान, जलालपुर, शामली, खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद सप्लाई करता है। इस सूचना पर एटीएस कार्य कर रही थी। आज दिनांक 23.11.2019 को एटीएस को सूचना प्राप्त हुई कि राज सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी गोगवान, जलालपुर, शामली हथियार सप्लाई करने जा रहा है। इस सूचना पर एटीएस द्वारा शामली गुरुद्वारा तिराहे के पास अभियुक्त राज सिंह व उसके एक अन्य साथी आसिफ पुत्र कय्यूम निवासी गोगवान, जलालपुर, शामली को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से निम्न बरामदगी हुई -

- बरामदगी राज सिंह के कब्जे से - 01 पिस्टल 32 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस, 01 अदद मोबाइल फोन
- बरामदगी आसिफ के कब्जे से - 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

इस सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी, जनपद शामली में अभियोग संख्या 420/2019 व 421/2019 अन्तर्गत धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कराये गये।

ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त राज सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी गोगवान, जलालपुर, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश, मु0अ0सं0 6/19 अन्तर्गत धारा 120बी भा.द.वि. एवं 10, 13, 17, 18, 20, 38, 39, 40 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, एसएस नगर, मोहाली, पंजाब में बांछित चल रहा है। उल्लेखनीय है कि पंजाब में गिरफ्तार अभियुक्त लखवीर सिंह पुत्र हरजिन्दर सिंह निवासी दुदियाना कलान, पोस्ट हरीयाना, जनपद होशियारपुर, पंजाब व अन्य की पूछताछ में यह बात प्रमाणित हुई थी कि अभियुक्त राज सिंह, मुख्य अभियुक्त लखवीर सिंह पुत्र हरजिन्दर सिंह को पैसा लेकर 10 हेण्ड ग्रेनेड, 01 पिस्टल और 20 जिन्दा कारतूस देने वाला था।



**राज सिंह** पुत्र महावीर सिंह  
निवासी गोगवान, जलालपुर, थाना  
बाबरी, जनपद शामली, उ.प्र. (उम्र  
लगभग 24 वर्ष)



**आसिफ** पुत्र कय्यूम निवासी  
गोगवान, जलालपुर, थाना बाबरी,  
जनपद शामली, उ.प्र. (उम्र लगभग  
19 वर्ष)

अभियुक्त राज सिंह हथियार और गोला-बारूद कहाँ से प्राप्त करता था और अभी तक किस-किस को सप्लाई किया है? के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ जारी है।